भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3880

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

हिंगोली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

3880. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में विलंब और अकुशलता सहित मौजूदा मुद्दों की जानकारी है;

(ख) सरकार द्वारा हिंगोली जिले के विशेषकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) हिंगोली में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों और जिले में जमाखोरी या कालाबाजारी जैसे अनुचित कार्यों पर रोक लगाई जा सके?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत नियंत्रित होती है और इसे केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू टी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कार्य प्रणाली की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

...2/-

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में ऐसा कोई विलंब और अकुशलताए नहीं हुई हैं। हिंगोली जिले में अंत्योदय अन्न योजना परिवार (एएवाई) के तहत लाभार्थियों की संख्या 29649 है और प्राथमिकता वाले परिवार लाभार्थियों (पीएचएच) की संख्या 683735 है। जमाखोरी या कालाबाजारी जैसी अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएँ मिल सकें। निगरानी तंत्र अर्थात आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एइपीडीएस) और खाद्य एवं आवश्यक वस्तु आश्वासन एवं सुरक्षा लक्ष्य (एफइएएसटी) लागू हैं। सतर्कता समितियों का गठन गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर किया गया है। साथ ही, जिला अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

*****